# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, हनुमानगढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी– गोपाल लाल स्वर्णकार आर.ए.एस.

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956

**प्रकरण संख्या– 05/2023**

1. जगजीत सिंह पुत्र गुरदेवसिंह जाति जटसिख निवासी ढ़ाणी अराईयान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

–अपीलान्ट

बनाम

1. सरजीत सिंह पुत्र गुरदेव सिंह जाति जटसिख निवासी ढ़ाणी अराईयान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

–रेस्पोडेन्टस

3. बलजीतसिंह पुत्र भरपूरासिंह जाति जटसिख निवासी ढ़ाणी अराईयान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. रामजीतसिंह पुत्र भरपूरासिंह जाति जटसिख निवासी ढ़ाणी अराईयान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

–तरतीबी रेस्पोडेन्टस

उपस्थितः– श्री कुलदीप सिंह खुड़िया अधिवक्ता अपीलांट।

श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या–1

**निर्णय** दिनांक–25.07.2024

अपीलांट जगजीत सिंह पुत्र गुरदेवसिंह [illegible] निवासी ढ़ाणी अराईयान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ अपील विरुद्ध इन्तकाल संख्या 444 दिनांक 11.12.2021 बअदालत तहसीलदार राजस्व नोहर [illegible] स्वीकृत किया गया, को अपास्त करने बाबत् अपील प्रस्तुत की गई है, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.08.05 17:34:52 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

1. अपीलाधीन इन्तकाल संख्या 444 दिनांक 11.12.2021 बअदालत तहसीलदार राजस्व नोहर को स्वीकृत किया गया है, उसको अपास्त करने किये जाने हेतु एवं नामान्तरण की प्रमाणित प्रति सलग्न अपील मिमो है।

2. अपीलान्ट व रेस्पोडेन्टस सं. 1 व तरतीबी रेस्पोडेन्टस सं. 3 व 4 की शामिल खाते की कृषि भूमि रोही मौजा चक 1 बी. के. के. तहसील नोहर के खाता सं. 21 के प. न. 314/428 मु.न. 23 के किला न. 13 की 0.2530 हैक्टेयर भूमि एवं रोही मौजा चक 1 बी. के. के. तहसील नोहर के खाता सं. 37 के प.न. 313/426 मु. न. 12 के किला न. 4/1 की 0.025 हैक्टेयर भूमि, 4/2 की 0.152 हैक्टेयर व 5 की 0.164 हैक्टेयर , 6 –7 की 0.5060 हैक्टेयर व 14 ता 17 की 1.0120 हैक्टेयर भूमि व 24 व 25 की 0.5060 हैक्टेयर भूमि प.न. 313/427 मु.न. 17 के किला नं. 4/1 की 0. 025 हैक्टेयर 4/2 की 0.2280 हैक्टेयर , 4/1 की 0.025 हैक्टेयर 5/2 की 0. 2280 हैक्टेयर , व 6 व 7 की 0.5060 हैक्टेयर कुल 3.377 हैक्टेयर भूमि जिसमें नहरी 0.8220 हैक्टेयर बारानी 2.4800 हैक्टेयर गै.मु. रास्ता 0.050 हैक्टेयर गै.मु. खाला 0.0250 हैक्टेयर भूमि स्थित है एवं रोही मौजा चक 1 बी. के. के. तहसील नोहर के खाता सं. 38 के प.न. 313/428 मु.न. 24 के किला नं. 6/1 की 0.025 हैक्टेयर 6/2 की 0.2280 हैक्टेयर, 7 व 8 की 0.5060 हैक्टेयर 13, 14 की 0.5060 हैक्टेयर 15/ 1 की 0.026 हैक्टेयर 15/ 2 की 0.227 हैक्टेयर , 16/1 की 0.026 हैक्टेयर 16/2 की 0.227 हैक्टेयर, 17, 18 की 0.5060 हैक्टेयर , 23, 24 की 0. 5060 हैक्टेयर , 25/1 की 0.026 हैक्टेयर 25/2 की 0.227 हैक्टेयर, प.न. 313/429 मु.न. 29 के किला नं. 3/1 की 0.025 हैक्टेयर 3/2 की 0.2280 हैक्टेयर , 4/1 की 0.025 हैक्टेयर 4 /2 की 0.2280 हैक्टेयर, 5/1 की 0. 025 हैक्टेयर 5/2 की 0.0250 हैक्टेयर, 5/3 की 0.203 हैक्टेयर, 6/1 की 0.025 हैक्टेयर 6/2 की 0.2280 हैक्टेयर, व 7 व 8 की 0.5060 हैक्टेयर, प.न. 314/427 मु.न. 18 के 11,12 की 0.5060 हैक्टेयर, 19 ता 23 की 1.2650 हैक्टेयर भूमि एव प. न. 314/428 मु. न. 23 के किला नं. 1/1 की 0.025 हैक्टेयर 1/2 की 0.2280 हैक्टेयर, 2/1 की 0. 025 हैक्टेयर 2 /2 की 0.2280 हैक्टेयर, 3/1 की 0.025 हैक्टेयर 3/2 की 0.2280 [illegible] हैक्टेयर 19 ता 22 की 1. 0120 हैक्टेयर प.न. 314/429 मु. न. 30 [illegible] नं. 11 की 0.025 हैक्टेयर 1/2 की 0.2280 हैक्टेयर, 2/1 [illegible] हैक्टेयर [illegible]2 की 0.2270 हैक्टेयर 10 की 0. 2530 हैक्टेयर, कुल 10.120 [illegible] नहरी 6.0720 हैक्टेयर भूमि बारानी 3.6940 हैक्टेयर भूमि गै. मु. रास्ता 0.510 हैक्टेयर गै.मु. खाला 0.2030 हैक्टेयर भूमि एवं रोही मौजा 30 एनटीआर तहसील नोहर के खाता सं. 75 के प.न. 317/423 मु. न. 64 के किला नं. 2/1 की 0.026 हैक्टेयर 2/2 की 0.2270 हैक्टेयर, 3/1 की

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swamkar
Date: 2024.08.05 17:34:52 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

0.025 हैक्टेयर 3/2 की 0.2280 हैक्टेयर, 4/1 की 0.025 हैक्टेयर 4/2 की 0.2280 हैक्टेयर , व 7 ता 9 की 0.7590 हैक्टेयर , 12 ता 14 की 0.7590 हैक्टेयर , 17 ता 19 की 0.7590 हैक्टेयर, व 22 ता 24 की 0.7590 हैक्टेयर भूमि कुल 3.7950 हैक्टेयर है जिसमें नहरी 3.7190 हैक्टेयर भूमि गै. मु. खाला 0.0760 हैक्टेयर भूमि स्थित है। रोही मौजा चक 30 एनटीआर तहसील नोहर के खाता सं. 98 के प.न. 313/425 मु.न. 88 के किला नं. 25/1 की 0.025 हैक्टेयर 25/2 की 0.152 हैक्टेयर कुल 0.1770 हैक्टेयर भूमि नहरी 0. 1520 हैक्टेयर गै. मु. खाला 0.0250 हैक्टेयर भूमि स्थित है जिसके अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 1 व तरतीबी रेस्पोडेन्ट सं. 3 व 4 ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार थे। नामान्तरण संख्या 444 दिनांक 11.12. 2021 से साबित है।

3. उपरोक्त कृषि भूमि का रेस्पोडेन्ट सं. 1 व तरतीबी रेस्पोडेन्ट सं. 3 व 4 ने निम्न प्रकार से स्वीकृत करवाया गया है जो कि निम्न प्रकार से है –

(1) तरतीबी रेस्पोडेन्टस सं. 3–4 बलजीतसिंह पुत्र भरपूरासिंह व रामजीतसिंह पुत्र भूरपूरसिंह जाति जटसिंख निवासी ढाणी अराईयान तहसील नोहर के पास – रोही मौजा चक 1 बी. के. के. तहसील नोहर के खाता सं. 37 के प.न. 313/426 मु. न. 12 के किला न. 4/1 की 0.025 हैक्टेयर भूमि, 4/2 की 0.152 हैक्टेयर व 5 की 0.164 हैक्टेयर , 6/7 की 0.5060 हैक्टेयर व 14 ता 17 की 1.0120 हैक्टेयर भूमि व 24 व 25 की 0.5060 हैक्टेयर भूमि पं.न. 314/427 मु. न. 18 के किला नं. 11 व 12 की 0.5060 हैक्टेयर, 19 ता 23 की 1.265 हैक्टेयर प.न. 313/ 428 मु.न. 24 के किला नं. 6/1 की 0.025 हैक्टेयर भूमि, 6/2 की 0.2280 हैक्टेयर, 7–8 की 0.5060 हैक्टेयर, 13, 14 की 0.5060 हैक्टेयर , किला नं. 15/1 की 0.026 हैक्टेयर भूमि, 15/2 की 0.227 हैक्टेयर, 16/1 की 0.026 हैक्टेयर भूमि, 16/2 की 0.227 हैक्टेयर, 17, 18 की 0.5060 हैक्टेयर, 23, 24 की 0.5060 हैक्टेयर, नं. 25/1 की 0.026 हैक्टेयर भूमि, 25/2 की 0. 227 हैक्टेयर , प.न. 314/428 मु.न. 23 के किला नं. 11 की 0.2530 हैक्टेयर 12/3 की 0.120 हैक्टेयर, 19/1 की 0.240 हैक्टेयर 20, 21 की 0.5060 हैक्टेयर, 22/1 की 0.240 हैक्टेयर, प.न. 314/429 मु.न. 30 के किला नं. 1/1 की 0.025 हैक्टेयर भूमि, 1/2 की 0.228 हैक्टेयर , 2/1 की 0.026 हैक्टेयर भूमि, 2/2 की 0.227 हैक्टेयर, 10 की 0.2530 हैक्टेयर कुल 9.290 हैक्टेयर जिसमें नहरी 5.1140 हैक्टेयर बारानी 3.9970 हैक्टेयर गै.मु. खाला 0.1280 हैक्टेयर गै.मु. रास्ता, 0.0510 हैक्टेयर भूमि एवं रोही मौजा चक 30 एनटीआर तहसील नोहर के प.न. 317/423 मु.न. 64 के किला नं. 3/1/2 की 0. 0130 हैक्टेयर, 3/2/2 की 0.114 हैक्टेयर , 4/1 की 0.

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.08.05 17:34:52 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर

0250 हैक्टेयर 4/2 की 0.2280 हैक्टेयर व 7, 8 की 0.5060 हैक्टेयर 13, 14 की 0.5060 हैक्टेयर भूमि, 17 की 0.2530 हैक्टेयर 24 की 0.2530 हैक्टेयर भूमि कुल 1.8980 हैक्टेयर भूमि है जिसमें नहरी 1.860 हैक्टेयर गै.मु. खाला 0.0380 हैक्टेयर भूमि का खाता विभाजन में प्राप्त हुई।

(2) अपीलान्ट जगजीत पुत्र गुरदेव सिंह जाति जटसिंख निवासी ढ़ाणी अराईयान तहसील नोहर के पास – चक 1 बीकेके प.न. 314/428 मु.न. 23 के किला नं. 1 ६ 1 की 0.025 हैक्टेयर 1/2 की 0.2280 हैक्टेयर, 2/1 की 0.025 हैक्टेयर 2/2 की 0.215 हैक्टेयर , 9/1 की 0.240 हैक्टेयर 10 की 0.2530 हैक्टेयर 12/2 की 0.120 हैक्टेयर प.न. 313/429 मु.न. 29 के किला नं. 3/1 की 0.025 हैक्टेयर 3/2 की 0. 2280 हैक्टेयर, 4/1 की 0.025 हैक्टेयर 4/2 की 0.2280 हैक्टेयर, 5/1 की 0.025 हैक्टेयर 5/2 की 0.025 हैक्टेयर, 5/3 की 0.203 हैक्टेयर, 6/1 की 0.025 हैक्टेयर 6/2 की 0.2280 हैक्टेयर, व 7 व 8 की 0.5060 हैक्टेयर, कुल 2.6240 हैक्टेयर भूमि जिसमें नहरी 1.4870 हैक्टेयर बारानी 0.9620 हैक्टेयर गै.मु. खाला, 0.0750 हैक्टेयर गै. मु. रास्ता 0.1000 हैक्टेयर भूमि एवं रोही मौजा चक 30 एनटीआर प.न. 317/423 मु. न. 64 के किला नं. 18, 23 की 0.5060 हैक्टेयर कुल 0.5060 हैक्टेयर भूमि खाता विभाजन से हिस्से में आई।

(3) रेस्पोडेन्टस स. 1. सरजीत सिंह पुत्र गुरदेव सिंह जाति जटसिंख निवासी ढ़ाणी अराईयान तहसील नोहर के पास – रोही मौजा चक 1 बी. के. के तहसील नोहर के प.न. 313/427 मु.न. 17 के किला नं. 4/1 की 0.025 हैक्टेयर 4/2 की 0.2280 हैक्टेयर , 5/1 की 0.025 हैक्टेयर 5/2 की 0.2280 हैक्टेयर , व 6 व 7 की 0.5060 हैक्टेयर प.. 314/428 मु.न. 23 के किला नं. 3/1 की 0. 0250 हैक्टेयर, 3/2 की 0.2280 हैक्टेयर भूमि 8, 13 की 0.506 हैक्टेयर कुल 1.7710 हैक्टेयर , नहरी, 1. 4430 हैक्टेयर बारानी 0.2530 हैक्टेयर खाला, 0.250 हैक्टेयर रास्ता 0.050 हैक्टेयर भूमि एवं रोही मौजा 30 एनटीआर तहसील नोहर के खाता सं. 75 के प.न. 317/423 मु. न. 64 के किला नं. 2/1 की 0.026 हैक्टेयर 2/2 की 0.2270 हैक्टेयर, 3/[illegible] 0.012 हैक्टेयर 3/2/1 की 0.0114 हैक्टेयर, 9 व 12 [illegible] 22 की 0.5060 हैक्टेयर प. न. 313/425 मु.न. 88 [illegible] 0.0220 हैक्टेयर 25/2 की 0. 152 हैक्टेयर कुल 1.5680 हैक्टेयर भूमि [illegible]में नहरी 1.5050 हैक्टेयर गै. मु. खाला 0.0630 हैक्टेयर भूमि खाता विभाजन में प्राप्त हुई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.08.05 17:34:52 IST
Reason: SelfAttested

जिला ... नोहर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

(4) तरतीबी रेस्पोडेन्टस सं. 3 बलजीतसिंह, रामजीतसिंह, पि. भरपूरसिंह जगजीतसिंह, सरजीतसिंह, पि. गुरदेव सिंह जाति जटसिंख निवासी ढ़ाणी अराईयान तहसील नोहर के पास – रोही मौजा चक 1 वी.के.के. तहसील नोहर के प.न. 314/428 मु.न. 23 के किला नं. 2/3 की 0.013 हैक्टेयर, 9/2 की 0.013 हैक्टेयर, 12/2 की 0.013 हैक्टेयर, 19/2 की 0.013 हैक्टेयर, 22/2 की 0.013 हैक्टेयर कुल 0.0650 हैक्टेयर नहरी भूमि खाता विभाजन में प्राप्त हुई जिससे व्यथित होकर अपील अपीलान्ट निम्न आधारो पर अपील हाजा प्रस्तुत कर रहा है –

(i) अपीलान्ट व रेस्पोडेन्टस के खाता विभाजन के आधार पर इन्तकाल संख्या 444 दिनांक 11.12.2021 दर्ज व तस्दीक किया गया है उसमें प.न. 314/428 मु.नं. 23 के किला नं. 2/3 की 0.013 हैक्टेयर व 9/2 की 0.013 हैक्टेयर 12/3 की 0.06 हैक्टेयर सहमति से रास्ता के उपयोग के लिए रखी गई है, जो कि अपीलान्ट की भूमि में कम हुई है तथा रेस्पोडेन्ट सं. 1 सरजीत सिंह कि विभाजन में रास्ता कि उपयोग में कोई भूमि कम नही हुई है ना ही उक्त किलो में बंटवारो में आई है तथा तरतीबी रेस्पोडेन्ट कि उक्त प.नं. व किला में रास्ता के उपयोग में भूमि किला नं. 12/3 की 0.06 हैक्टेयर व 19/2 की 0.013 हैक्टेयर, 22/2 की 0.013 हैक्टेयर भूमि रास्ते के उपयोग कम की गई है मगर खाता संख्या 119/38 में रेस्पोडेन्ट सं. 1 कि कोई भूमि उक्त पत्थर नम्बर व मुरब्बा नम्बर में विभाजन में नही रखी गई थी। मगर सहबन से नामान्तरण सं. 444 दिनांक 11.12.2021 अपीलान्ट का नियम विरूद्व 1/4 हिस्सा दर्ज कर दिया है जबकि अपीलान्ट का 1/4 की बजाय 1/2 हिस्सा दर्ज होना चाहिए था मगर इन्तकाल सं. 444 दिनंक 11.12.2021 में रेस्पोडेन्टस सं. 1 का 1/4 हिस्सा अंकन करने में कानूनी भूल की है। नामान्तरण सं. 444 दिनांक 11.12.2021 रेस्पोडेन्टस सं. 1 के हदतक अपास्त किया जाना कानूनी रूप से आवश्यक है।

(ii) मातहत अदालत ने विभाजन प्रस्ताव विभाजन अनुसार पुरी जाँच ना कर कतई विधि विरूद्ध तरीके से वा[illegible]जा चक 1 बी. के. के तहसील नोहर के खाता सं. 119/38 में रेस्पो[illegible] सं. 1 का नाम कतई 1/4 हिस्सा दर्ज करने में कानूनी गलती कि है इसलिए रेस्पोडेन्ट सं. 1 कि हद तक उसके नाम 1/4 हिस्सा कल[illegible]न कर उक्त हिस्सा अपीलान्ट के हिस्सा में छोड़कर उसके नाम 1/4 हिस्सा कि बजाय 1/2 हिस्सा दर्ज कराना चाहिए था मगर मातहत अदालत ने नामान्तरण दर्ज करते समय

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.08.05 17:34:52 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

पुरी जाँच ना करते हुऐ इन्तकाल सं. 444 दिनंक 11.12.2021 रेस्पोडेन्टस के हदतक निरस्त किया जाना इंसाफन आवश्यक है।

(iii) चुंकि रेस्पोडेन्टस सं. 1 व अपीलान्ट के द्वारा खाता विभाजन इन्तकाल सं. 444 दिनंक 11.12.2021 दर्ज हुआ लेकिन अपीलान्ट को यह पहले जानकारी नही हुई की रेस्पोडेन्टस सं. 1 का 1/4 हिस्सा दर्ज कर दिया गया जो कि गलत भुलवंश से दर्ज हुआ है तथा 1/ 4 हिस्सा की जगह 1/2 हिस्सा दर्ज होना था जिसका अपीलान्ट को पूर्व में ज्ञान नही था तथा अपीलान्ट ने अब पटवारी हल्का से जमाबन्दी की नकल प्राप्त की तो पता चला कि रेस्पो. सं. 1 के नाम अब भी 1/4 हिस्सा दर्ज कर दिया गया है इसलिए अपीलान्ट को इन्तकाल सं. 444 दिनंक 11.12.2021 के अनुसार दर्ज हिस्सा का पूर्व में ज्ञान नही हुआ है तथा ज्ञान होते ही खाता विभाजन व प्रार्थना पत्र तहसीलदार आदेश व अनुबन्ध की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए अपीलान्ट के द्वारा आवेदन किया तथा अपनी और से अधिवक्ता नियुक्त किया तत्पश्चात समस्त अधिवक्तागणो की हड़ताल शुरू हो गयी तथा आज बिना किसी देरी के अपील हाजा प्रस्तुत कर रहा है जो ज्ञान से अन्दर मियाद मानी जावे। एंव अपील में हुई देरी को माफ किया जावें ।

(iv) अन्य वजुहात अपील वरवक्त बहस अर्ज किये जावेगे।

(v) अपील अपीलान्ट काबिल समाअत अदालत वाला तथा 2 रूपये की कोर्ट फीस पर ज्ञान से अन्दर मियाद है।

अत: अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपीलान्ट अपील स्वीकार की जाकर इन्तकाल सं. 444 दिनंक 11.12.2021 रेस्पोडेन्टस कि हद तक अपास्त किया जाकर वादग्रस्त भूमि चक 1. बी. केके तहसील नोहर के खाता सं. 119/38 की कुल तादादी 0.065 हैक्टेयर भूमि नहरी में से रेस्पोडेन्टस सं. 1 के नाम 1/4 हिस्सा कलमजन किया जाकर उक्त हिस्सा अपीलान्ट के समायोजित माना जाकर अपीलान्ट का 1/4 हिस्सा की बजाय 1/2 हिस्सा दर्ज करने का आदेश तहसीलदार राजस्व नोहर को फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.08.05 17:34:52 IST
Reason: SelfAttested

अपील प्रस्तुत होनें पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । रेस्पोडेन्ट संख्या–1 की ओर से श्री विजयसिंह कड़वासरा एडवोकेट उपस्थित हुये। रेस्पोडेन्ट संख्या–02 से अपीलाधीन नामान्तरण एंव खाता विभाजन पत्रावली तलब

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या–3 4 को अधिवक्ता अपीलांट द्वारा तर्क किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तरण संख्या 444 दिनांक 11.12.2021 रेस्पोडेन्टस कि हद तक अपास्त किया जाकर वादग्रस्त भूमि चक 1. बी. केके तहसील नोहर के खाता सं. 119/38 की कुल तादादी 0.065 हैक्टेयर भूमि नहरी में से रेस्पोडेन्टस सं. 1 के नाम 1/4 हिस्सा कलमजन किया जावे एंव उक्त हिस्सा अपीलान्ट के खाते में समायोजित माना जाकर अपीलान्ट का 1/4 हिस्सा की बजाय 1/2 हिस्सा दर्ज करने का आदेश तहसीलदार राजस्व नोहर को फरमाया जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या–01 ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन नामान्तरण संख्या 444 दिनांक 11.12.2021 में दर्ज भूमि का खाता विभाजन काश्तकारों की सहमति से अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजस्व नोहर द्वारा किया गया है, जो कि उचित एवं विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करनें पर पाया कि रोही मौजा चक 1बीकेके के खाता संख्या 21, 37, 38 चक 30 एनटीआर के खाता संख्या 75, 98 का खाता विभाजन सहकाश्तकारों की सहमति से खाता विभाजन किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सहमति के आधार पर ही नामान्तरण संख्या 444 दिनांक 11.12.2021 दर्ज किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सहमती से खाता विभाजन के आधार पर दर्ज नामान्तरण संख्या 444 दिनांक 11.12.2021 न्यायोचित है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजस्व नोहर नामान्तरण संख्या 444 दिनांक 11.12.2021 दर्ज करनें में कोई भूल कारित नहीं की है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होनें से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न कर लौटाई जावे। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दि[illegible] 5.7.24 को सरेइजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.08.05 17:34:52 IST
Reason: SelfAttested

(गोपाल लाल स्वर्णकार आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)